(9)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट

रीवा, म0प्र0।

निगरानी क्र0/ /016

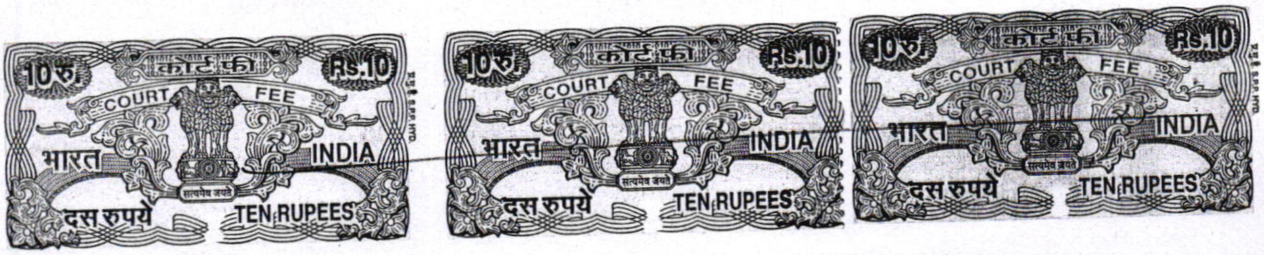

R 5288-II/16 Rs.301/-

दलुआ साकेत तनय मथुरा साकेत निवासी ग्राम ककरा, तह0 अमरपाटन,

जिला सतना, म0प्र0। ---- आवेदक

बनाम

पैंहका साकेत तनय छून्नू साकेत निवासी ग्राम ककरा, तह0 अमरपाटन,

जिला सतना, म0प्र0। ----- अनावेदक

श्री विजय मंगलम 29.6.16 को
द्वारा आज ...
प्रस्तुत किया ...

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन, तह0 अमरपाटन, जिला सतना दिनांक 31.12.015 जो सीमांकन प्र0क्र0 2-अ/12/15-16 में पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन की पुष्टि की गई।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

(01) यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टीकरण आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5288–दो/2016 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	आवेदक के अभिभाषक ने मांग रखी कि अधीनस्थ न्यायालय जानबूझकर रिकार्ड नहीं भेज रहा है इसलिये उनके व्दारा प्रस्तुत अभिलेख को आधार मानकर प्रकरण में सुनवाई की जावे। आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 2 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31–12–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने जाकर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन पर उनके स्वामित्व की ग्राम ककरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1050/2 रकबा 0.117 हैक्टर का दिनांक 22–12–15 को राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दी गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन आदेश दिनांक 31–12–15 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि सीमांकन गलत करते हुये उनके पक्षकार की भूमि को प्रभावित किया गया है एंव गलत सीमांकन से आवेदक का रकवा दवता है। यदि अनावेदककी भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ	

अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31–12–2015 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य